(5)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 04/2018–19

अजय राजा एवं अन्य .....आवेदक

बनाम्

श्रीमती चन्द्रा राय ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

19/03/~~2019~~ 2021 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 04/18–19 अजय राजा एवं अन्य बनाम् श्रीमती चन्द्रा देवी के बीच भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के म्यूटेशन अपील वाद सं0– 02/2018–19 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2018 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा दुमका नगर के जमाबन्दी सं0– 13/23 के दाग सं0– 566 एवं 567 रकवा 01 बीघा 07 कठ्ठा 10 धूर, 12 धूरकी जमींन का म्यूटेशन आवेदक के नाम से अंचल अधिकारी, दुमका के म्यूटेशन वाद सं0– 18/1986–87 के आदेश दिनांक 23.07.1986 द्वारा किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0– 02/2018–19 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका द्वारा अंचल अधिकारी, दुमका के म्यूटेशन वाद सं0– 18/1986–87 में पारित आदेश दिनांक 23.07.1986 को यह कहकर रद्द कर दिया गया कि बसौड़ी जमींन का नामान्तरण दान–पत्र के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इस आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

(6)

आवेदक द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विवादित जमींन के संबंध में सिनियर सिविल जज–प्रथम, दुमका के न्यायालय में टाईटल सूट सं0– 28/2017 ओमप्रकाश साह बनाम् श्रीमती चन्द्रा राय तथा इस टाईटल सूट के विरूद्ध में क्रॉस टाईटल सूट सं0– 03/2017 श्रीमती चन्द्रा राय बनाम ओम प्रकाश साह उसी न्यायालय में लंबित है। टाईटल सूट सं0– 28/2017 दिनांक 04.04.2017 तथा क्रॉस टाईटल सूट सं0– 03/2017 दिनांक 08.08.2017 को न्यायालय में दायर किया गया है और वर्त्तमान में सिनियर सिविल जज–प्रथम, दुमका के न्यायालय में लंबित है। इन दोनों वादों के लंबित रहने के बावजूद निम्न न्यायालय द्वारा इसी विवादित जमींन से संबंधित वाद पर दिनांक 11.07.2018 को आदेश पारित करते हुए अंचल अधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश रद्द किया गया है। इसी आदेश के आधार पर अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0 186–आर. 27/2019–20 द्वारा विपक्षी के नाम से दिनांक 23.09.2019 को प्रश्नगत जमींन का नामान्तरण किया गया है। संबंधित अपील वाद लंबित रहने के संबंध में अंचल अधिकारी, दुमका को दिनांक 31.08.2019 को आवेदन भी समर्पित किया गया था। दाखिल कागजात के अनुसार टाईटल संबंधित विवादों का निपटारा के लिये सिविल कोर्ट सक्षम न्यायालय है। सी.डब्लू.जे.सी. नं0 1214, 1330, 1331, 1741, 1923 एवं 1924/195 में पारित आदेश जो जे. एल.जे.आर. 2013(1) पेज सं0 95 में प्रकाशित है, के अनुसार–

> A Revenue Authority has no jurisdiction to decide the question of title- any such decision can only be taken by a Court of competent civil jurisdiction-

cancellation of jamabandi by Revenue authority and setting at naught the right title and interest at their instance, is without jurisdiction.

इस वाद में उल्लेखित जमींन से संबंधित स्वत्व का मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है। सक्षम न्यायालय में मामला लंबित रहते राजस्व न्यायलाय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। किन्तु स्वत्व का मामला सक्षम न्यायालय में लंबित रहते हुए निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो नियमसंगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थगित रखा जाता है।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
दुमका। 19/3/2021

उपायुक्त
दुमका। 19/3/2021

Seen the order No. 3 Advr 12/4/2021

28 ... 20/4/21

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:23:04 +05:30
Location: 169.254.227.244